संख्या: 266 / 79–5–2016–29 / 2009टी.सी.– ।।

प्रेषक,

आशीष कुमार गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ0प्र0 लखनऊ।

2– शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 2016

विषय:– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 के पत्रांक–शि0नि0बे0/ 31774/ 2015–16, दिनांक 28 जनवरी, 2016 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च में योजित रिट याचिका संख्या–2086(एमएस)/2015 एवं रिट याचिका संख्या–3134 (एमएस)/2015 तथा स्पेशल अपील संख्या–333/2015 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत, उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं धारा–12(1) से सम्बन्धित शासनादेश में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इसी के साथ आसपास (Neighbourhood) के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–538/ 79–6–2013, दिनांक 20–6–2013 में संशोधन का प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–3087(1)/79–5–2012–29/ 2009टी.सी.–।।, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 एवं आसपास (Neighbourhood) के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–538/79–6–2013, दिनांक 20–6–2013 निर्गत किया गया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत उक्त शासनादेशों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है –

(1) शासनादेश संख्या–3087(1)/79–5–2012–29/2009टी.सी.–।।, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 निम्नवत संशोधन किया जाता है –

पूर्व प्रस्तर		संशोधित प्रस्तर
8–क	03–14 आयु वर्ग के समस्त "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बालकों को पड़ोसी राजकीय/परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में दाखिले का अधिकार होगा।	विलोपित।
8–ख	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह पाए जाने पर कि "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बालकों को पड़ोसी राजकीय/परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में स्थान/ सीटों के अभाव के कारण दाखिला नहीं मिल पा रहा है तो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुरुप ऐसे विद्यार्थियों को निजी असहायतित	"राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय/ परिषदीय विद्यालयों द्वारा अधिनियम–2009 की अनुसूची में वर्णित मानक प्रति अध्यापक 30 छात्र के आधार पर विद्यालय की क्षमता का निर्धारण किया जायेगा और न्यूनतम उस सीमा तक छात्र–छात्राओं का प्रवेश लिया जायेगा ताकि राजकीय संसाधनों का अभीष्टतम उपयोग किया जा सके। यदि विद्यालय में छात्र नामांकन उक्त सीमा तक पहुँच गया है तो "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को आसपास

Fresh-G.O.doc

	विद्यालयों को 25 प्रतिशत स्थान/सीटों की सीमा तक कक्षा-1 में प्रवेश पाने का अधिकार प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 10 कार्य दिवस में आदेश पारित करके निजी विद्यालयों में दाखिला देने का दायित्व होगा, जो सम्बन्धित विद्यार्थी हेतु कक्षा-8 तक की शिक्षा प्राप्त मान्य रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही हेतु 05 दिवस में स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव सहित पत्रावली जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 05 दिवस में प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा एवं माता-पिता /अभिभावक को तदुपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचित भी किया जायेगा।	(Neighbourhood) के असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा की 25 प्रतिशत स्थान/सीटों की सीमा तक प्रवेश दिलाया जायेगा, जो कक्षा-8 तक की शिक्षा हेतु मान्य होगा। अग्रेतर यह भी कि यदि आसपास के क्षेत्र में एक या अधिक असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं तो "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश लेने हेतु विवश नहीं किया जायेगा। उक्त प्रवेश संबंधी कार्यवाही पारदर्शिता के साथ संपादित कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। बच्चे के माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 28 फरवरी तक उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संकलित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों में अंकित [illegible] प्राथमिकताओं को यथासंभव दृष्टिगत रखते हुए अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कराने हेतु स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव 07 मार्च तक जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 05 दिवस में प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। माता-पिता /अभिभावक तथा सम्बन्धित विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचित भी किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपयुक्त पारदर्शी रीति से अधिसूचना संख्या-3037/79-5-2012-29/09, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के अनुसार समस्त कार्यवाही 21 मार्च तक पूर्ण करायी जायेगी। 01 अप्रैल से नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व निजी विद्यालयों में उक्त बच्चों का दाखिला पूर्ण कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।
6-ग	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार यह सूचना एकत्र की जायेगी कि सरकारी/परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में न केवल क्षमता के अनुरूप दाखिला लिया गया है, वरन् यह सूचना भी एकत्र की जायेगी कि दाखिले के अनुसार वास्तव में बालक/बालिका लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ड्राप आउट होने वाले स्थान/सीटें यदि शीघ्रता से नहीं भरती हैं, तो उन स्थान/सीटों पर अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बालक-बालिकाओं को दाखिला देने की व्यवस्था की जायेगी।	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार यह सूचना एकत्र की जायेगी कि सरकारी/ परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में न केवल क्षमता के अनुरूप दाखिला लिया गया है, वरन् यह सूचना भी एकत्र की जायेगी कि दाखिले के अनुसार वास्तव में बालक/बालिका लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य सरकार/परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में उपरोक्त प्रस्तर-6(ख) में उल्लिखित क्षमता के अनुसार छात्र नामांकित होने पर भी "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बच्चों/अभिभावकों द्वारा प्रवेश देने हेतु अनुरोध करने पर विद्यालय में प्रवेश देने से कदापि मना नहीं किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-538/79-6-2013, दिनांक 20-6-2013 का प्रस्तर-2 (ग) में निम्नवत संशोधन किया जाता है-

पूर्व प्रस्तर		संशोधित प्रस्तर
2	(ग)- विद्यालय हेतु आस-पास (Neighbourhood) की परिभाषा के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो के वार्ड) को इकाई समझा जायेगा अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा। यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। शासनादेश दिनांक 03.12.2012 में यथा परिभाषित/अधिसूचित अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही उक्त प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा।	"अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय हेतु आस-पास (Neighbourhood) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 4(1) एवं नियम 7(3) से होगा, अर्थात आस-पास के क्षेत्र की सीमा एक किलोमीटर होगी। शासनादेश दिनांक 03.12.2012 में यथा परिभाषित/अधिसूचित अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही उक्त प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा।"

3- शासनादेश संख्या-3087(1)/79-5-2012-29/2009टी.सी.-II, दिनांक 03 दिसम्बर 2012 एवं शासनादेश संख्या-538/79-6-2013, दिनांक 20-6-2013, उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(आशीष कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- वित्त नियंत्रक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय समस्त जनपद।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद।
8- शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Important G.O.doc